ए.

अजीत के एंड ओआरएस।

वी.

अनीश के. एस. और ओआरएस.

(2019 की सिविल अपील संख्या 6178-6185) 21 अगस्त, 2019

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958:आर. 10 (ए) (ii)-योग्यता-नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II का पद-निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक ग्रेड II के पद के लिए योग्यता सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स-एस. आई. डी. सी.-रिक्तियों का विज्ञापन-स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम-डी. एच. आई. सी. में डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी शॉर्टलिस्ट में शामिल हैं-न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती-विचाराधीनता के दौरान, तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट कि दो साल का डी. एच. आई. सी. एक उच्च योग्यता है-न्यायाधिकरण का निर्देश कि डी. एच. आई. सी. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट को फिर से तैयार किया जाए-प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा लिखित याचिका-अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गयाःआर में निर्धारित शर्तों में से कोई भी नहीं।10(क) (ii) पूरा हो गया है-आर में निहित आवश्यकताओं के लिए दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं था।10(क) (ii)-डिप्लोमा के अतिरिक्त योग्यता होने या स्वास्थ्य विभाग में डिप्लोमा के स्वीकार्य होने का उल्लेख एक बाहरी विचार है-तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि डी. एच. आई. सी. का अधिग्रहण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले माना जाता है-किसी भी कार्यकारी आदेश या राज्य सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा समानता का कोई निर्धारण नहीं किया गया था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1** सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम**, 1958** के नियम **10** (ए) **(ii)** में निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया गया है।नियम **10** (ए) **(ii)** द्वारा विचार की गई पहली स्थिति वह है जहां योग्यताओं को कार्यकारी आदेशों या स्थायी आदेशों द्वारा मान्यता दी जाती है।

जी.

एच.

495 ए.

496 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 11 एस. सी. आर.

किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के समकक्ष सरकार।इससे संतोष नहीं होता।नियम **10** (ए) **(ii)** में विचार की गई दूसरी स्थिति के संदर्भ में के**.** पी**.** एस**.** सी**.** द्वारा योग्यताओं की समानता के नियम **13** (बी) **(i)** के अनुसार कोई निर्धारण नहीं किया गया था।अंत में**,** नियम **10** (ए) **(ii)** में विचार की गई अंतिम शर्त उन योग्यताओं के लिए विज्ञापन करती है जो किसी पद के लिए निर्धारित कम योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व**-**मानती हैं।पूर्व**-**मान लीजिए अभिव्यक्ति का अर्थ है सम्मिलित किया गया।तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट से जो कुछ भी पाया जाता है**,** वह डी**.** एच**.** आई**.** सी**.** की लंबी अवधि**,** पाठ्यक्रम में विषयों की समानता और सिद्धांत और व्यावहारिक सत्रों की संख्या के बीच तुलना के बारे में सामान्य टिप्पणियां हैं।ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि डी**.** एच**.** आई**.** सी**.** का अधिग्रहण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले माना जाता है।**[**अनुच्छेद **12] [504-**एफ**; 505-**ए**-**बी**] 1.** डिप्लोमा के एक अतिरिक्त योग्यता होने का संदर्भ नियम **10** (ए) **(ii)** से परे है।स्वास्थ्य विभाग में डिप्लोमा के स्वीकार्य होने का संदर्भ फिर से एक बाहरी विचार है।प्रत्यक्षतः**,** यह स्पष्ट है कि ऊपर निकाले गए निष्कर्ष पर पहुंचने में**,** नियम **10** (ए) **(ii)** में निहित आवश्यकताओं के लिए दिमाग का कोई उपयोग नहीं था।राज्य सरकार के किसी भी कार्यकारी आदेश या स्थायी आदेश द्वारा समानता का कोई निर्धारण नहीं किया गया था। न ही ऐसा कोई निष्कर्ष निकला कि डी**.** एच**.** आई**.** सी**.** निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है।के**.** पी**.** एस**.** सी**.** ने नियम के प्रावधानों के अनुसार कोई अभ्यास नहीं किया है।उच्च न्यायालय के निर्णय में त्रुटि नहीं होती है।**[**पैरा **16,17] [507-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

ज्योति के के बनाम केरल लोक सेवा आयोग **(2010)**

एफ.

15 एससीसी **596-**प्रतिष्ठित।

पंजाब राज्य बनाम अनीता **(2015) 2** एस**.** सी**.** सी**. 170;** जहूर अहमद राथर बनाम शेख इम्तियाज अहमद **(2019) 2** एस**.** सी**.** सी**. 404;** पी**.** एम**.** लता बनाम केरल राज्य **(2003) 3** एस**.** सी**.** सी**. 541:**

[2003] 2 एस**.** सी**.** आर**. 653-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

जी.

(2010) 15 एस**.** सी**.** सी**. 596**

प्रतिष्ठित

पैरा **14**

(2015) 2 एससीसी **170**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14** ए

एच.

497

अजीत के एंड ओआरएस. वी.अनीश के. एस. और ओआरएस.

(2019) 2 एस**.** सी**.** सी**. 404**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[2003] 2 एससीआर **653**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 6178-6185।

2018 के ओ. पी. (के. ए. टी.) संख्या 76,77,78,79,80,81,83 और 86 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 10.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

बी.

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, विनोद कन्ना बी., श्रीमती जी. चित्रकला, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।

सी.

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, निशे राजन शोंकर, अनु के. जॉय, आलिम अनवर, रीगन एस. बेल, अभिलाष एम. आर., सयोज मोहनदास एम., अमित कृष्णन, मुथु कृष्णन, सुधीश के. के., सत्य रंजन स्वैन, विशाल अरुण, सी. के. सासी, नयनतारा रॉय, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, कार्तिक जयशंकर, हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, राधा श्याम जेना, रमेश बाबू एम. आर., सुश्री स्वाति सेतिया, रंजीत बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एन.प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

ई.

1. अपीलों का यह समूह केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 10 दिसंबर 2018 के एक फैसले से उत्पन्न होता है।20 दिसंबर 2017 के केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले की शुद्धता की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

एफ.

2. 16 अगस्त 1972 को, केरल सरकार ने केरल नगरपालिका सामान्य सेवा नियम 1967 की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका सामान्य सेवा में पदों के लिए भर्ती और योग्यता की विधि निर्दिष्ट की।इन पदों को आदेश के एक अनुलग्नक में निर्दिष्ट किया गया था।स्वास्थ्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक ग्रेड-II का पद उन पदों में से था और योग्यताएँ थीं:

जी.

“S.S.L.C मानक की न्यूनतम सामान्य शिक्षा।बॉम्बे या मद्रास का स्वच्छता निरीक्षक प्रमाण पत्र; या त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य निरीक्षक प्रमाण पत्र; या

एच.

ए.

अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, बॉम्बे का स्वच्छता निरीक्षक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किए गए स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र।

आयु-18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं।

बी.

3. 26 दिसंबर 2014 को, केरल लोक सेवा आयोग 1 ने नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड-II के पद के लिए नौ जिलों में रिक्तियों का विज्ञापन दिया। अधिसूचना में निम्नलिखित शर्तों में पद के लिए योग्यता निर्दिष्ट की गई है:

" योग्यताएँ:-

सी.

1. S.S.L.C।

2. बॉम्बे या मद्रास का स्वच्छता निरीक्षक प्रमाण पत्र।

या

त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य निरीक्षक प्रमाण पत्र।

डी.

या

अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, बॉम्बे का स्वच्छता निरीक्षक प्रमाण पत्र।

या

ई.

राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान किए गए स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र।

या

ग्रामीण संस्थान, थवनूर द्वारा संचालित स्वच्छता निरीक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

एफ.

ध्यान देंः-केएस एंड एसएसआर भाग-II, नियम-10 (ए) (ii) इस पद पर चयन के लिए लागू है।

उपरोक्त टिप्पणी का वर्तमान के परिणाम पर कुछ असर पड़ता है।

मामला।

जी.

4. 29 मई 2015 को, पाँच अतिरिक्त जिलों में पदों के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।पद के लिए योग्यता समान रही।27 नवंबर 2015 को एक सामान्य लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।16 नवंबर 2016 को, के. पी. एस. सी. ने इसके लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की।

1 “केपीएससी "

एच.

499

अजीत के एंड ओआरएस. वी.अनीश के. एस. और ओआरएस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

कोट्टायम का जिला।अन्य जिलों के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नामों वाली सूची भी प्रकाशित की गई।स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा संचालित दो वर्षीय पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम 2 में डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया था।डी. एच. आई. सी. नियमों या विज्ञापन में विशेष रूप से निर्धारित योग्यताओं में से एक नहीं थी।डी. एच. आई. सी. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से प्रभावित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों ने डी. एच. आई. सी. योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट में शामिल करने के राज्य के फैसले को चुनौती देते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष मामले दायर किए।

बी.

5. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, 10 जनवरी 2017 को, तीन सदस्यीय समिति ने डी. एच. आई. सी. कार्यक्रम और स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम 3 का तुलनात्मक अध्ययन किया।समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था किः i) जबकि डी. एच. आई. सी. दो साल का पाठ्यक्रम है, एस. आई. डी. सी. (निर्धारित प्रमाण पत्र) की अवधि 52 सप्ताह है।

सी.

डी.

(ii) डी. एच. आई. सी. के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकें हैं, लेकिन एस. आई. डी. सी. के लिए उपलब्ध पाठ्यक्रम के तहत कोई अनुशंसित पाठ मौजूद नहीं हैं।

iii) पाठ्यक्रम के दोनों सेटों में विषय कुछ 'सूक्ष्म अंतर' को छोड़कर लगभग समान हैं; और

ई.

(iv) जबकि डी. एच. आई. सी. में सिद्धांत सत्रों की संख्या अधिक होती है, एस. आई. डी. सी. में अधिक व्यावहारिक सत्र होते हैं।

6. 20 फरवरी 2017 को, के. पी. एस. सी. ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक जवाब दायर किया जिसमें कहा गया था कि दो वर्षीय डी. एच. आई. सी. एक ही संकाय में एक उच्च योग्यता है और तदनुसार केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1958 के नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों का पालन करते हुए कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड-II के पद के लिए डी. एच. आई. सी. रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था।24 मई 2017 को, स्वास्थ्य सेवा निदेशक के कार्यालय ने नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के पद के लिए डी. एच. आई. सी. योग्यता वाले उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए प्रधान सचिव, स्थानीय स्वशासन संस्थान विभाग, तिरुवनंतपुरम को एक पत्र भेजा।

एफ.

जी.

2 “डीएचआईसी "3" एसआईडीसी "4" केएसएसएसआर "

एच.

500

7 जुलाई 2017 को, स्थानीय स्वशासन (ई. यू.) विभाग में सरकार के प्रधान सचिव ने सचिव, के. पी. एस. सी. को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की दृष्टि में, डी. एच. आई. सी. योग्यता को अधिसूचना में निर्धारित योग्यताओं की तुलना में उच्च योग्यता माना जा सकता है।ट्रिब्यूनल को बाद में इस फैसले के बारे में सूचित किया गया।

बी.

7. न्यायाधिकरण ने 20 दिसंबर 2017 के अपने फैसले में अपने समक्ष स्थापित ओ. ए. को अनुमति दी और निर्देश दिया कि डी. एच. आई. सी. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची को फिर से तैयार किया जाए।न्यायाधिकरण ने यह निर्देश यह अभिनिर्धारित करने के बाद जारी किया कि के. पी. एस. सी. ने डी. एच. आई. सी. योग्यता धारकों के आवेदनों पर गलती से विचार किया था।न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित, उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा लागू किया गया था।उच्च न्यायालय ने रिट कार्यवाही को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट केवल यह निष्कर्ष निकालती है कि डी. एच. आई. सी. प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की तुलना में 'उच्च योग्यता' है, जो के. एस. एस. एस. आर. के भाग II के नियम 10 (ए) (ii) के तहत पर्याप्त नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि डिप्लोमा का अधिग्रहण पद के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले माना जाता है।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि समिति द्वारा पूरी कवायद के. पी. एस. सी. द्वारा संक्षिप्त सूची के प्रकाशन के बाद और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान की गई थी।इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि चयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है।इस आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

8. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, अपीलार्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि मूल रूप से विचाराधीन पद के लिए निर्धारित स्वच्छता निरीक्षक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के साथ डी. एच. आई. सी. योग्यता की समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से नियम 10 (ए) (ii) के तहत एक अभ्यास किया गया था।आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में नियम 10 (ए) (ii) का एक विशिष्ट संदर्भ था।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि एक बार जब राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल ले कि डी. एच. आई. सी. एक उच्च योग्यता है, तो न्यायाधिकरण को उक्त योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को बाहर करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।इसके अलावा, इस निर्णय पर भरोसा करते हुए यह आग्रह किया गया था

एफ.

जी.

ज्योति के. के. बनाम केरल लोक सेवा आयोग 5 ("ज्योति के.

के**),** कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही संकाय में उच्च योग्यता है**,** तो ऐसी योग्यता को अधिग्रहण से पहले कहा जा सकता है

एच.

501

अजीत के एंड ओआरएस. वी.अनीश के. एस. और ओआरएस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

पद के लिए निर्धारित कम योग्यताएँ।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय जनहित के विपरीत है क्योंकि डी. एच. आई. सी. योग्यता धारक एस. आई. डी. सी. की तुलना में बेहतर पाठ्यक्रम से गुजरते हैं जिसे 1972 में योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि एक बार एक समिति ने एक विस्तृत मूल्यांकन पर यह निष्कर्ष निकाला था कि डी. एच. आई. सी. पाठ्यक्रम एक उच्च योग्यता है, तो न्यायाधिकरण के लिए डी. एच. आई. सी. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के बहिष्कार का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं था।

बी.

9. राज्य सरकार और के. पी. एस. सी. दोनों ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्क का समर्थन किया है।उनकी ओर से यह आग्रह किया गया है कि न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने नियम 10 (ए) (ii) के केवल एक पहलू पर विचार किया है-क्या उच्च योग्यता पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व-मानती है-दूसरे भाग की अनदेखी करते हुए जो विशेष नियमों के नियम 13 (बी) (i) के तहत के. पी. एस. सी. द्वारा निर्धारण की अनुमति देता है।10. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, योग्यताओं की समानता का कोई निर्धारण पहले से नहीं किया गया था, और यह केवल न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही था कि इस तरह की कवायद की गई थी।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है।यह आग्रह किया गया है कि कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड-II का पद नगरपालिका सामान्य सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा विभाग दोनों में उपलब्ध है।स्वास्थ्य सेवा विभाग में, पद के लिए योग्यता डी. एच. आई. सी. है, जबकि नगरपालिका सामान्य सेवा में, पद के लिए योग्यता आम तौर पर, स्वच्छता निरीक्षक का प्रमाण पत्र है।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि दोनों विभागों में पदों के बीच स्पष्ट अंतर हो।स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा संचालित स्थानीय स्वशासन संस्थानों, ग्रामीण शिक्षा विभाग और डी. एच. आई. सी. द्वारा संचालित एस. आई. डी. सी. को उनके संबंधित विभागों में उन दोनों पदों से जुड़े विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नों के जवाब से पता चला है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा संचालित डी. एच. आई. सी. पाठ्यक्रम एस. आई. डी. सी. से बेहतर

योग्यता का नहीं है। 14 मार्च 2017 को एक पत्र में शहरी मामलों के निदेशक ने निर्दिष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा संचालित डी. एच. आई. सी. कार्यक्रम न तो एस. आई. डी. सी. प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के समकक्ष है और न ही उच्चतर योग्यता है जो नगर निगम में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड-II के पद के लिए योग्यता के रूप में निर्धारित है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सेवा करते हैं।16 मई 2017 को व्यक्तिगत और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसे दोहराया गया था।

11. वर्तमान मामले में हमारी जांच का प्रारंभिक बिंदु 16 अगस्त 1972 का राज्य सरकार का आदेश है, जो 29 अगस्त 1972 को केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।यह स्वास्थ्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक ग्रेड-II के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को निर्दिष्ट करता है। निर्धारित योग्यता एक स्वच्छता निरीक्षक का प्रमाण पत्र है जो निर्दिष्ट संस्थानों में उत्पन्न होता है।डी. एच. आई. सी. इस पद के लिए निर्दिष्ट योग्यताओं में से एक नहीं है।हालाँकि रिलायंस को केएसएसएसआर के भाग II के नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों पर रखा गया था। नियम 10 (ए) (ii) इस प्रकार हैः

बी.

“10. योग्यताएँ (ए)

सी.

...

(ii) इन नियमों या विशेष नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्यकारी आदेशों या सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा विशेष नियमों में किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के

समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त योग्यता या आयोग द्वारा उक्त नियमों के नियम 13 (बी) (i) के अनुसार स्वीकार्य पाई गई योग्यता, उन मामलों में जहां नियमों में समतुल्य योग्यता की स्वीकृति प्रदान की गई है और ऐसी योग्यताएं जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व-मानती हैं, भी पद के लिए पर्याप्त होंगी।"

डी.

ई.

नियम 10 (ए) (ii) एक गैर-अस्थाई प्रावधान के साथ शुरू होता है।यह तीन स्थितियों पर विचार करता हैः

(i) सरकार के कार्यकारी आदेशों या स्थायी आदेशों द्वारा विशेष नियमों में किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के समकक्ष होने के रूप में मान्यता प्राप्त योग्यताएँ; या

एफ.

((ख) आयोग द्वारा नियम 13 (ख) (i) के अनुसार उन मामलों में स्वीकार्य योग्यताएँ जहां विशेष नियमों में समकक्ष योग्यताओं की स्वीकृति प्रदान की गई है; और

जी.

(iii) योग्यताएँ जो पद के लिए निर्धारित कम योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व-मानती हैं।

इनमें से किसी को भी पद के लिए पर्याप्त माना जाएगा।न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को नियम 10 (ए) (ii), ए के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से बेहतर माना जा सकता है।

एच.

503

अजीत के एंड ओआरएस. वी.अनीश के. एस. और ओआरएस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

डिप्लोमा पाठ्यक्रम वह होना चाहिए जो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले हो।उस संदर्भ में न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित कियाः

"कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II का पद नगरपालिका सामान्य सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा विभाग में भी उपलब्ध है।इन दोनों विभागों में उपरोक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता अलग-अलग है।स्वास्थ्य सेवा विभाग में, कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II के पद के लिए योग्यता स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा है जबकि नगरपालिका सामान्य सेवा में यह

आम तौर पर स्वच्छता निरीक्षक प्रमाण पत्र होता है।इसलिए इन दोनों विभागों में उपरोक्त पदों के बीच स्पष्ट अंतर है।"

बी.

सी.

न्यायाधिकरण ने नोट किया कि नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के पद से जुड़े कर्तव्य और कार्य स्वास्थ्य सेवा विभाग से अलग हैं।इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने कहा कि न तो के. पी. एस. सी. और न ही किसी विधिवत गठित प्राधिकरण ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया था कि क्या डी. एच. आई. सी. को एक बेहतर योग्यता के रूप में माना जाना है, न्यायाधिकरण ने कहाः

डी.

"इसलिए, विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या किसी प्राधिकरण या लोक सेवा आयोग ने स्वयं यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या डी. एच. आई. सी. की योग्यता को एक उच्च योग्यता के रूप में माना जा सकता है जो पहले से ही स्वच्छता निरीक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अधिकार मानती थी।अभिवचनों और अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से जीतने पर, उत्तर नकारात्मक में होता है।न तो लोक सेवा आयोग और न ही संबंधित अधिकारियों ने ऐसा करने का प्रयास किया है।जो पद अधिसूचित किया गया है वह नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II का है और इसलिए, यह सवाल कि क्या किसी अन्य पाठ्यक्रम को उपरोक्त पाठ्यक्रम के समकक्ष माना जा सकता है या क्या किसी भी पाठ्यक्रम को बेहतर योग्यता के रूप में माना जा सकता है जो स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम की योग्यता को प्रशासनिक विभाग या नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और घोषित किया जाना था। वर्तमान मामले में, संबंधित अधिकारी स्थानीय स्वशासन विभाग और शहरी मामलों के निदेशक हैं।रिकॉर्ड में जो लाया गया है, वह लोक सेवा आयोग को स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव द्वारा जारी किया गया एक संचार, अनुलग्नक आर 5 (ए) दिनांक 7.7.2017 है। स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सूचित किया है कि पाठ्यक्रम

ई.

एफ.

जी.

एच.

उनके द्वारा संचालित डी. एच. आई. सी. पाठ्यक्रम को स्वच्छता निरीक्षक प्रमाणपत्र के लिए एक उच्च योग्यता के रूप में माना जा सकता है।सचिव के अनुसार, उपरोक्त जानकारी के आलोक में यह देखते हुए कि स्वास्थ्य सेवा विभाग में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II के पद के लिए डी. एच. आई. सी. की योग्यता निर्धारित की गई थी, इसे नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II के पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए उच्च योग्यता के रूप में देखा जा सकता है।यह ध्यान दिया जाता है कि अनुलग्नक आर 5 (ए) संचार केवल एक राय प्रदान करता है, यह डीएचआईसी के उपरोक्त पाठ्यक्रम को एक बेहतर योग्यता घोषित नहीं करता है।यह इस तथ्य पर भी विचार नहीं करता है कि क्या डी. एच. आई. सी. का अधिकार पहले से ही स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम का अधिकार होगा और क्या स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक का पद नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के पद से बेहतर पद था।इसके अलावा,।यह ध्यान दिया जाता है कि अनुलग्नक आर 5 (ए) संचार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 और 166 के दायरे में आने वाला एक कार्यकारी आदेश नहीं है।अनुलग्नक 5 (ए) लोक सेवा आयोग द्वारा किसी प्रश्न पर राय व्यक्त करने वाले संचार की प्रकृति का है।यही नियम 10 (ए) (ii) और 13 (बी) (i) भाग II के. एस. और एस. एस. आर. के अनुसार डी. एच. आई. सी. पाठ्यक्रम को स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम से बेहतर योग्यता घोषित नहीं करता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

न्यायाधिकरण के इस विचार को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।12. सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि नियम 10 (ए) (ii) में निर्धारित शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं हुई है।नियम 10 (ए) (ii) द्वारा विचार की गई पहली स्थिति वह है जहां योग्यताओं को कार्यकारी आदेशों या सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के बराबर माना जाता है।इससे संतोष नहीं होता।नियम 10 (ए) (ii) में विचार की गई दूसरी स्थिति के संदर्भ में के. पी. एस. सी. द्वारा योग्यता 6 की समानता के नियम 13 (बी) (i) के अनुसार कोई निर्धारण नहीं किया गया था।अंत में अंतिम शर्त पर विचार किया गया

एफ.

6 नियम 13 (बी) (आई) इस प्रकार प्रदान करता है:"13. विशेष योग्यता-कोई भी व्यक्ति किसी भी सेवा, वर्ग, श्रेणी या श्रेणी या उसके संवर्ग में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह -

जी.

(ख) ऐसी अन्य योग्यताएँ रखते हैं जिन्हें उक्त विशेष योग्यताओं या विशेष परीक्षणों के समकक्ष माना जा सकता है -

(i) आयोग द्वारा उन मामलों में जहां नियुक्ति उसके परामर्श से की जानी है; या

एच.

505

अजीत के एंड ओआरएस. वी.अनीश के. एस. और ओआरएस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

नियम 10 (ए) (ii) में उन योग्यताओं के विज्ञापन दिए गए हैं जो किसी पद के लिए निर्धारित कम योग्यता के अधिग्रहण से पहले मान ली जाती हैं।पूर्व-मान लीजिए अभिव्यक्ति का अर्थ है शामिल किया गया।तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट से हम जो कुछ भी पाते हैं, वह डी. एच. आई. सी. की लंबी अवधि, पाठ्यक्रम में विषयों की समानता और सिद्धांत और व्यावहारिक सत्रों की संख्या के बीच तुलना के बारे में सामान्य टिप्पणियां हैं।ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि डी. एच. आई. सी. का अधिग्रहण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले माना जाता है।

बी.

13. ज्योति के. के. में निर्णय एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां के. पी. एस. सी. ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड 7 में उप-अभियंता (विद्युत) के पद के लिए चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।निर्धारित तकनीकी योग्यताएँ इस प्रकार थीं:

सी.

“2. तकनीकी योग्यता -

(क) अध्ययन के 3 साल के पाठ्यक्रम के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा,

डी.

या

(ख) केरल राज्य विद्युत बोर्ड के तहत पांच साल की सेवा के साथ नीचे दिखाए गए किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी स्कूल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रमाण पत्र,

[पूरी तरह से नहीं निकाला गया क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं है]

ई.

या

(ग) विद्युत प्रकाश और बिजली (उच्चतर) में एम. जी. टी. ई./के. जी. टी. ई. बोर्ड के तहत द्वितीय श्रेणी पर्यवेक्षक (विद्युत) के रूप में पांच साल के अनुभव के साथ।"

एफ.

अपीलार्थीगण B.Tech डिग्री धारक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री धारक थे।के. पी. एस. सी. ने माना कि वे चयन के लिए पात्र नहीं थे।उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि वे उच्च योग्यता रखने वाले व्यक्ति थे और इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है।इस न्यायालय ने नियम 10 (ए) (आई) के प्रावधानों की व्याख्या की और कहाः

जी.

"7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब प्रासंगिक नियमों के तहत कोई योग्यता निर्धारित की गई है, तो उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और एक अलग योग्यता को अपनाया नहीं जा सकता है।उच्च न्यायालय का यह कहना भी उचित है कि

7 "केएसईबी "

एच.

उच्च योग्यता को उस पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता के अधिग्रहण को स्पष्ट रूप से इंगित या पूर्वनिर्धारित करना चाहिए ताकि नियम के उस हिस्से को इस प्रभाव से आकर्षित किया जा सके कि उन उच्च योग्यताओं में से जो पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यताओं के अधिग्रहण को पूर्वनिर्धारित करती हैं, वे भी पद के लिए पर्याप्त होंगी।यदि किसी व्यक्ति ने उसी संकाय में उच्च योग्यता प्राप्त की है, तो ऐसी योग्यताओं को निश्चित रूप से पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यताओं के अधिग्रहण को पूर्व निर्धारित करने के लिए कहा जा सकता है।इस मामले में दूर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।8. प्रासंगिक नियमों के तहत, सहायक अभियंता के पद के लिए, केरल विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या अन्य मान्यता प्राप्त या समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है।एक उच्च पद के लिए जब एक सीधी भर्ती आयोजित की जानी होती है, तो जो योग्यता प्राप्त करनी होती है, वह स्पष्ट रूप से एक संकेत देती है कि ऐसी योग्यता निश्चित रूप से निम्न पद, अर्थात् उप-अभियंता के पद के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक है।इस मामले को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की

योग्यता यह मानती है कि पद के लिए निर्धारित विषय में डिप्लोमा की निम्न योग्यता का अधिग्रहण उस पद के लिए पर्याप्त माना जाएगा।”

बी.

सी.

डी.

14. उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि सहायक अभियंता के पदोन्नति पद के लिए योग्यता इंजीनियरिंग में एक डिग्री थी।नतीजतन, डिग्री का अधिग्रहण उप-अभियंता के पद के लिए निर्धारित डिप्लोमा की 'निम्न योग्यता' के अधिग्रहण से पहले आयोजित किया गया था।यह एक विशिष्ट कारक है और इसलिए ज्योति के. के. में निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है।ज्योति के. के. में निर्णय को बाद में पंजाब राज्य बनाम अनीता 8 में अलग किया गया था, जैसा कि इस न्यायालय ने जहूर अहमद राथर बनाम शेख इम्तियाज अहमद 9 में एक और हालिया निर्णय में उल्लेख किया था।(इस संदर्भ में पी. एम. लता बनाम केरल राज्य मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय भी देखें।राज्य सरकार (ई. यू.) के प्रधान सचिव ने 7 जुलाई 2017 को के. पी. एस. सी. को एक पत्र में कहाः

ई.

एफ.

जी.

“ हालांकि, 2 साल की अवधि वाले स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा योग्यता में शामिल नहीं है।

8 (2015) 2 एससीसी 170 9 (2019) 2 एससीसी 404 10 (2003) 3 एससीसी 541 ए

एच.

507

अजीत के एंड ओआरएस. वी.अनीश के. एस. और ओआरएस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

नगरपालिका सामान्य सेवा में जूनियर स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड **II** के लिए अधिसूचना के अनुसार आवश्यक, पी. एस. सी. ने उन्हें शामिल किया है

स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा में योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों ने उक्त पद की शॉर्टलिस्ट

बाकी योग्यताओं के लिए एक अतिरिक्त योग्यता के समान। चूंकि उन परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

बी.

दोनों पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा योग्यता से अधिक उच्च योग्यता है।

संबंधित विशेष नियम के तहत निर्धारित और उस डिप्लोमा में

स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के पद के लिए योग्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है।

सी.

स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा को स्वीकार किया जा सकता है और नगरपालिका सामान्य सेवा में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II के पद के लिए निर्धारित योग्यता की तुलना में उच्च योग्यता के रूप में माना जा सकता है।"

डी.

(जोर दिया गया) 16.डिप्लोमा के एक अतिरिक्त योग्यता होने का संदर्भ नियम 10 (ए) (ii) से परे है।स्वास्थ्य विभाग में डिप्लोमा के स्वीकार्य होने का संदर्भ फिर से एक बाहरी विचार है।प्रत्यक्षतः, यह स्पष्ट है कि ऊपर निकाले गए निष्कर्ष पर पहुंचने में, नियम 10 (ए) (ii) में निहित आवश्यकताओं के लिए दिमाग का कोई उपयोग नहीं था।राज्य सरकार के किसी भी कार्यकारी आदेश या स्थायी आदेश द्वारा समानता का कोई निर्धारण नहीं किया गया था।न ही ऐसा कोई निष्कर्ष निकला कि डी. एच. आई. सी. निम्न योग्यता के अधिग्रहण का अनुमान लगाता है।के. पी. एस. सी. ने नियम के प्रावधानों के अनुसार कोई अभ्यास नहीं किया है।

ई.

एफ.

17. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।याचिकाएं खारिज हो जाएंगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एच.